



Fax:0484-2390608

Telephone: 0484-2390404

e-mail- cexcochi@nic.in

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय/MINISTRY OF FINANCE, राजस्व विभाग/DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX

कोचिन आयुक्तालय COCHIN COMMISSIONERATE

केन्द्रीय राजस्व भवन C.R.BUILDING, आई.एस.प्रेस रोड I.S.PRESS ROAD: कोचिन COCHIN-18

सी.सं./C.No.IV/16/04/2014.Tech

तारीख/ Dated: 25.02.2015

व्यापार सूचना /TRADE NOTICE NO: 02 /2015

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम, 2005- पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित।

Sub:- Right to Information Act, 2005-Appointment of Transparency Officer - Reg.

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की ओर व्यापार, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आम जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त, कोचिन ने श्री राजन जी. जॉर्ज, सहायक आयुक्त को कोचिन आयुक्तालय का पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

Attention of trade, field formations and the public in general is invited to the Right to Information Act, 2005. The Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Cochin has appointed **Shri.Rajan G. George, Assistant Commissioner** as the **Transparency Officer** of the Cochin Commissionerate.

पारदर्शिता अधिकारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, केन्द्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस रोड, कोचिन -18 पर संपर्क किया जा सकता है। दूर भाष सं :- 0484 - 2390404.

Transparency Officer can be contacted at Office of the Commissioner of Central Excise, Central Excise Headquarters Office, C.R. Building, I.S. Press Road, Cochin-18: Tel.No.0484-2390404.

Reshma Lakhani

(रेशमा लखानी/RESHMA LAKHANI)

आयुक्त/COMMISSIONER

प्रति /Copy to: 1.सभी संबन्धित अधिकारी /The concerned officers

2.प्रेषण सूची 1,2,3 के अनुसार / As.per Distribution List No.I, II & III.

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है /Copy for information submitted to :-

1. सदस्य (सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली
The Member (Customs/Excise), CBEC, New Delhi.
2. निरीक्षण महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डी -ब्लॉक, आई पी एस.एस्टेट, नई दिल्ली
The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.
3. सिस्टेमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटल सम्राट, नई दिल्ली
The Director General of Systems, Customs and Central Excise, Hotel Samrat, New Delhi.
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, केरल क्षेत्र, कोचिन
The Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

5. आयुक्त (अपील), कोचिन /The Commissioner (Appeals), Cochin.

6. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त
All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates

7. सूचना पट्ट/Notice Board.